5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल (ग्वालियर) मध्यप्रदेश भोपाल

122

निगरानी 0315/2019/विदिशा/भू.रा. रिवीजन क................/18

सतीश खरबंदा आ. श्री मदनसिंह खरबंदा

आयु वयस्क निवासी –सावरकर पथ विदिशा (म.प्र.) .... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

.... उत्तरदाता

म.प्र. शासन

अभिभावक श्री........................ द्वारा आज दिनांक 15/11/19 को पेश।

रिवीजन

अभिभाषक पुनरीक्षणकर्ता, माननीय अधिनस्थ अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्र.कें 0510/अपील/17–18 मे पारित आदेश दिनांक. 24.1.2018 के विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका जानकारी दिनांक से समयअवधि मे प्रस्तुत की है:–

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन है कि :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0315/2019/विदिशा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-5-2019	आवेदक की ओर से श्री बी.एन. कोचर, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 15-11-19 को म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 को हुए संशोधन के उपरांत प्रस्तुत की गई है । अत: संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	